

# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

Hindustan Times

NEW DELHI  
WEDNESDAY  
MARCH 01, 2023

DATED

## DDA okays 2041 Master Plan, paves way for better nightlife

HT Correspondent

letters@hindustantimes.com

**NEW DELHI:** The Delhi Development Authority (DDA) on Tuesday approved the draft Master Plan of Delhi-2041, which aims re-imagine the Capital as a 24x7 city with night-circuits, provide liberal development norms for

group housing societies, schools and industry and push land pooling to cater to the growing housing demand in the city, officials aware of the matter said.

The vision document will now be sent to the Union ministry of housing and urban affairs (MoHUA) for a final notification.

The plan will replace the 2021 Master Plan, which came into force on February 7, 2007.

Senior DDA officials who attended the meeting, which was chaired by lieutenant governor VK Saxena, said there are no major changes in the final plan compared to the original one.

-P6

# Development road map for next 20 yrs approved

HT Correspondent

htreporters@hindustantimes.com

**NEW DELHI:** The Delhi Development Authority (DDA) on Tuesday approved the draft Master Plan of Delhi-2041 that seeks to re-imagine the national capital as a 24x7 city with night circuits; provide liberal development norms for group housing societies, schools and industry; and push land pooling to cater to the growing housing demand in the city, officials aware of the matter said.

The vision document will now be sent to the Union ministry of housing and urban affairs (MoHUA) for final notification. The new plan will replace the Master Plan of Delhi-2021, which came into force on February 7, 2007. The draft MPD-2041 was tabled before the authority on Tuesday after incorporating changes based on the 33,000 suggestions and objections received from the public, the officials said.

DDA placed the draft plan in the public domain in June 2021.


Senior DDA officials who attended the meeting, which was chaired by lieutenant governor (LG) VK Saxena, said there are no major changes in the final plan compared to the original one.

In a statement on Tuesday, Saxena said, "The thrust of MPD-2041, was inclusive development, environmental sustainability, green economy and infrastructure development that included sufficient housing for all sections of the society, innovative interventions such as Transit-oriented Development hubs, land pooling, green area development and rejuvenation (developed areas) of the city."

DDA officials said that the new Master Plan provides for policies such as Green area development which is aimed at planned development on the city periphery, and regulated growth of farmhouses.

It also aims to promote night-time economy to make the national capital a 24x7 city. It envisages 24x7 restaurants, night circuits around cultural precincts, and heritage areas.

The plan incorporates the amendments proposed by the Centre last year for swift imple-



### Vision for a 24X7 city

#### SHELTER AND SOCIAL INFRA

- Increased ground coverage and Floor Area Ratio for schools, guesthouses, hostels, foreign missions
- Flexibility in distribution of land use in land pooling areas
- Amalgamation of plots irrespective of plot size
- Developers to get FAR of 400 for remunerative component for in-situ slum rehabilitation projects

#### COMMERCIAL AND INDUSTRY

- FAR for commercial activity in hotels increased to 40%
- Multi-utility zone for street vendors in commercial areas

#### NATURE AND HERITAGE

- Transferable Development Rights to conserve heritage property
- Promotion of night time economy and night-time circuits
- Emphasis on development of city hubs, circuits, plazas, and night-time circuits
- Rejuvenation of Yamuna riverfront

#### INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT

- Mandatory EV charging stations in parking lots
- Preparation of Comprehensive Mobility Plan (CMP) to integrate land use and transportation
- Dynamic parking charges and preparation of parking management plans
- Restricting on-street parking
- Preparing walk plans to enhance walkability



**READ:** Check HT's special package on how MPD-2041 envisions Delhi as a 24X7 city

mentation of the land pooling policy, which has been hanging fire for nearly a decade now. According to the plan, land owners will now be allowed to merge their property irrespective of their plot sizes. Earlier, the policy required 70% contiguous land parcels to create a sector.

The new plan provides several concessions in terms of Floor Area Ratio (FAR) to schools, guest houses, hotels and foreign mis-

sions allowing them more developed space. Floor Area Ratio (FAR) is the ratio of a building's total floor area (gross floor area) to the size of the piece of land upon which it is built.

Also, to incentivise the developers involved in the construction of in-situ slum rehabilitation projects, the MPD 2041 provides for a higher FAR for commercial component to help them recover cost, DDA officials said.

The meeting also witnessed its share of politics with the Bharatiya Janata Party (BJP) leaders, who are members of DDA, accusing the Aam Aadmi Party (AAP) for politicising MPD-2041. They were referring to a letter by AAP MLA Somnath Bharti who had urged the LG to postpone the meeting.

"I am more worried about this hasty act in view of the developments in excise policy. Though the MPD-2041 will be passed in the meeting chaired by you but just like excise policy, it is not you who will be held responsible and be targeted. Just like Manish Sisodia, the AAP will be held responsible for its failure," Bharti said.

Though the LG office did not comment on the letter, the BJP hit back at Bharti and said that the AAP was politicising the matter.

BJP MLA Vjender Gupta, who is a member of DDA, said, "They (AAP) are politicising the issue and just trying to delay the matter."

# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

हिन्दुस्तान

नई दिल्ली, बुधवार, 1 मार्च 2023

DATED

## दिल्ली के मास्टर प्लान 2041 को मंजूरी मिली

2 दिल्ली के मास्टर प्लान-2041 पर मुहर लगा गई है। इसमें 'जहां झुग्गी, वहां मकान' योजना के तहत अकेली महिला को भी फ्लैट मिलेगा। P05

‘जहां झुग्गी वहां मकान’ योजना में कई बदलाव किए, केंद्र सरकार के पास मसौदा भेजा

# मास्टरप्लान-2041 पर मुहर, अकेली महिला को फ्लैट मिलेगा

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में मंगलवार देर शाम तक चली बैठक में मास्टर प्लान-2041 पर अंतिम मुहर लगा दी गई। इसके नए स्वरूप में कई अहम बदलाव किए गए हैं। अब 'जहां झुग्गी वहां मकान योजना' के तहत अकेली महिला को भी फ्लैट का आवंटन किया जा सकेगा।

वहीं, नए मास्टर प्लान में नाइट लाइफ को बढ़ावा और प्रदूषण को कम करने पर भी ध्यान दिया गया है। मास्टर प्लान को अधिसूचना जारी करने के लिए केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया है। डीडीए के अधिकारियों ने बताया कि कालकाजी में फ्लैट आवंटन के दौरान एक समस्या खड़ी हुई थी। कई आवंटनी ऐसी महिलाएं

33 हजार से अधिक आपतियां और सुझाव मिले थे  
02 करोड़ 92 लाख आबादी के हिसाब से प्लान तैयार किया



उपराज्यपाल वीके सक्सेना।

थीं, जिनके पति की मृत्यु हो गई थी या तलाक हो गया था या किसी अन्य कारण से पति, महिला के साथ नहीं था। डीडीए ने अब इन फ्लैट के आवंटन में अकेली महिलाओं को भी शामिल करने का फैसला किया है।

मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2041 तक दिल्ली की आबादी 2.92 करोड़ हो जाएगी।

इसके अनुसार ही प्लान तैयार किया गया है। प्लान के अनुसार, किराये के किरायेती आवास, पूरी सुविधाओं वाले रिहायशी क्षेत्र और छोटे प्रारूप वाले मकान राष्ट्रीय राजधानी में आवास विकास के कुछ प्रमुख बिंदु होंगे। मास्टर प्लान 2041 के ड्राफ्ट को तत्कालीन उपराज्यपाल अनिल वैजल की अध्यक्षता में मंजूरी दी गई थी। इसके ड्राफ्ट पर 33

## जल्दबाजी में पास न करें: सोमनाथ

बैठक शुरू होने से पहले आप विधायक और डीडीए सदस्य सोमनाथ भारती ने दिल्ली के उपराज्यपाल और डीडीए अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिख कर जल्दबाजी न करते हुए मास्टरप्लान 2041 की बैठक को स्थगित करने की मांग की। उन्होंने पिछले मास्टर प्लान 2021 की याद दिलाई, जिसमें जमीनी हकीकत पर ध्यान न देने के कारण 500 से अधिक संशोधन करने पड़े थे।

हजार से अधिक आपतियां और सुझाव मिले। सभी आपतियों एवं सुझावों को जनसुनवाई के माध्यम से सुना गया।

## महरौली वासियों से कोर्ट ने दस्तावेज मांगे

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को महरौली में गोशिया कॉलोनी झुग्गी वासियों के वकील से 467 लोगों के पहचान दस्तावेज देने करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी। याचिकाकर्ता डीडीए की ओर से कॉलोनी के तोड़ने के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष पहुंचे हैं।

न्यायमूर्ति मनमोहन प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने अधिवक्ता अनुप्रधा सिंह से बुधवार तक डीडीए और डीयूएसआईबी के वकील को पहचान दस्तावेजों की एक सूची देने को कहा है। पीठ ने उन्हें डीडीए और डीयूएसआईबी की ओर से दायर

- 467 लोगों से दस्तावेज देने को कहा गया
- मामले में अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी

हलफनामों पर एक प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए भी कहा है। अधिवक्ता अनुप्रधा ने हलफनामों पर प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए समय मांगा। पीठ ने उन्हें एक सप्ताह का समय दिया है।

डीडीए ने अपने हलफनामे में कहा है कि विचाराधीन भूमि महरौली पुरातत्व पार्क में आती है जो दक्षिणी मध्य रिज का हिस्सा है, जहां बड़ी संख्या में ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध स्मारक मौजूद हैं जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित/असंरक्षित और अनुरक्षित है।

इस भूमि को शुरू से ही दिल्ली के मास्टर प्लान में हरे रंग के रूप में चिह्नित किया गया है और इसे हरित के रूप में विकसित और बनाए रखा जाना है। यह इलाका महरौली विरासत क्षेत्र के तहत संरक्षित किया जाना है।

याचिका में कहा गया है कि गोशिया स्लम कॉलोनी 50 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है। यहां पर लगभग 4,000 आबादी वाले 700 से अधिक घर हैं। बताया जाता है कि यह कालोनी खसरा संख्या 217, 216 269, 368/220, 869 एवं 870 में स्थित है। 216 और 217 महरौली पुरातत्व पार्क का हिस्सा है, हालांकि, डीडीए पूरी गोशिया कॉलोनी को गिराने का दावा कर रहा है।

# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS | नवभारत टाइम्स | नई दिल्ली | बुधवार, 1 मार्च 2023 | ED

## दिल्ली में ड्राफ्ट मास्टर प्लान-2041 को मंजूरी



LG वीके सक्सेना

■ विस, नई दिल्ली : डीडीए ने ड्राफ्ट मास्टर प्लान-2041 को मंजूरी दे दी। यह 20 साल में दिल्ली के विकास की गति तय करेगा। LG वीके सक्सेना ने कहा, इसे विकास, पर्यावरण, इन्फ्रास्ट्रक्चर, लैंड यूजिंग आदि मकसद से तैयार किया है। स्वस्थ वातावरण, अच्छा शहर बनाना, इकोनॉमी बढ़ाना लक्ष्य होंगे। अब शहरी विकास मंत्रालय इसे अंतिम मंजूरी देगा। ▶▶ पेज 9

# मास्टरप्लान-2041 से अगले 20 साल डिवेलपमेंट के नाम


दिल्ली के विकास को मिलेगी रफ्तार, तय होगी रूपरेखा

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

डीडीए ने मंगलवार को ड्राफ्ट मास्टरप्लान-2041 को मंजूरी दे दी है। मास्टरप्लान अगले 20 साल तक राजधानी के विकास की गति और रूपरेखा तय करता है। एलजी वीके सक्सेना ने कहा कि इसे विकास, पर्यावरण, ग्रीन इकोनॉमी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, लैंड यूजिंग, ग्रीन एरिया, शहर को बेहतर बनाने के मकसद के साथ तैयार किया गया है।

मीटिंग में डीडीए के वाइस चेयरमैन सुभाषित पांडा के साथ अन्य सदस्य भी शामिल हुए। डीडीए से मंजूरी के बाद मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसे अंतिम अडॉप्ट करेगी और नॉटिफाई करेगी। ड्राफ्ट मास्टरप्लान-2041 को दो भागों और 10 जैट्स में बांटा गया है। इस प्लान के तीन लक्ष्य हैं।

वहीं दूसरी ओर आप विधायक और डीडीए के सदस्य मोमनाथ भार्गवी ने उपराज्यपाल और डीडीए अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखा है। इसमें 2041 के दिल्ली मास्टरप्लान को जल्दबाजी में पारित करने के एजेंडे का विरोध किया है। उन्होंने एलजी को पिछले मास्टरप्लान 2021 की याद दिलाई, जिसमें जमीनी हकीकत पर ध्यान न देने के कारण 500 से अधिक संशोधन करने पड़े थे।



### ये हैं ड्राफ्ट मास्टर प्लान-2041 की खास बातें

- न्यू ग्रीन सर्विटी पर खास ध्यान दिया गया है। इसमें बायोडायवर्सिटी पार्क, फ्लाइंग प्लाज्मा, बावली और झीलें और तलाबों को पुनर्जीवित करना, नालों के किनारे को सुरक्षित बनाकर वहां साइकलिंग और पैदल चलने वालों के लिए जगह बनाना शामिल है।
- कर्ना-इकोनॉमी के लिए इसमें खास प्लान है। इसमें आईटी हब, साइबर हब, नॉलेज बेसड इंडस्ट्री, आर एंड डी फेसिलिटी के लिए प्रस्ताव है। नई इंडस्ट्री हाइटेक और सर्विस बेसड होंगी।
- स्टैटोली हब और सेंटर के डिवेलपमेंट का प्रस्ताव भी है। इसमें बिजनेस प्रमोशन डिस्ट्रिक्ट्स, टैलीग्री (ट्रांजिट ओरिएंटेड डिवेलपमेंट) के साथ मौजूदा डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स को आधुनिक बनाना शामिल है।
- यमुना और बाढ़ क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए यमुना नदी के लिए रिवर डिवेलपमेंट प्लान तैयार किया गया है।
- हेरिटेज जोन, ऑकालीजिकल पार्क, कल्चरल हब और अन्य संरक्षित हेरिटेज बिल्डिंगों के लिए नियम तय किए।
- कल्चरल और एंटरटेनमेंट हब डिवेलप करना इसमें शामिल है।
- सिटी हब, सर्किट, प्लाज्मा, नाइट टाइम सर्विटी को डिवेलप करने के साथ नाइट टाइम इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए कॉरिडोर आदि की पहचान करना।
- प्राइवेट हिस्सेदारी बढ़ाकर हाउसिंग की जरूरतों को पूरा करना। इसमें लैंड यूजिंग के साथ प्लान और अनप्लान्ड एरिया के लिए रिजल्टेशन प्लान शामिल है। एफएआर का प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- नॉन ऑनरशिप, रेंटल हाउसिंग और अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को डिवेलप करना। यह मास ट्रांजिट एरिया के आसपास होंगे। इनमें सर्विस अपार्टमेंट, होस्टल, स्टूडेंट हाउसिंग, वॉकर हाउसिंग जैसी सुविधा होंगी।
- पार्किंग मैनेजमेंट के लिए प्लान के साथ ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा दिया गया है। इसमें ई-वीकल और ई-चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया गया है।
- ट्रीटेड वॉटर के इस्तेमाल को बढ़ाने, इंधन पाइपिंग सिस्टम, ग्रीन रेटिंग, रिन्यूबल एनर्जी, रिसेर्स का बेहतर इस्तेमाल, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए स्ट्रेटेजी बनाना।
- जीआइएस पर आधारित लैंड यूज प्लान विकसित किया जाएगा।

# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI \*  
WEDNESDAY, MARCH 1, 2023

NAME OF NEWSPAPERS

नवभारत टाइम्स | नई दिल्ली | बुधवार, 1 मार्च 2023

## गहलोत और आनंद संभालेंगे विभाग, जल्द मिलेंगे 2 नए मंत्री

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली सरकार के दो मंत्रियों के इस्तीफे के बाद अब कैबिनेट में शामिल होने वाले नए चेहरों को लेकर कयास तेज हो गए हैं। इस बीच दिल्ली सरकार के सूत्रों से पता चला है कि डिप्टी सीएम मनीष सिंसोदिया के पास जिन 18 विभागों का जिम्मा था, उन्हें फिलहाल मंत्री कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद संभालेंगे। दोनों के बीच इन विभागों का बराबर-बराबर बंटवारा किया जाएगा।

गहलोत के पास अभी ट्रांसपोर्ट और रेवेन्यू समेत 6 विभागों का प्रभार है। अब उन्हें पीडब्ल्यूडी, पावर, वॉटर, फाइनेंस और होम समेत 8 विभाग और सौंपे जा सकते हैं। इसी तरह मंत्री राजकुमार आनंद के पास अभी समाज कल्याण और सहकारिता समेत 4 विभाग हैं। अब एजुकेशन, हेल्थ, लेबर, विजिलेंस, टूरिज्म जैसे 10 अन्य महत्वपूर्ण विभागों का जिम्मा उन्हें सौंपे जाने की संभावना है। सत्येंद्र जैन के पास कोई विभाग नहीं था। सूत्रों ने बताया है कि मंत्रियों को नए सिरे से विभाग एलोकेट किए जाने का आदेश देर शाम सीएम ऑफिस से जारी कर दिया गया है। इसके अलावा सिंसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे को भी सीएम ने एलजी की मंजूरी के लिए भेज दिया है। दोनों के इस्तीफे स्वीकार होने के बाद नए मंत्रियों की नियुक्ति के लिए अलग से फाइल भेजी जाएगी। हालांकि, इसमें कुछ वक्त लगने के आसार हैं।

इस बीच आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि दिल्ली में छोटी कैबिनेट है। मुख्यमंत्री के अलावा मंत्री परिषद में केवल 6 मंत्री होते हैं। दिल्ली के लोगों के काम न रुके, इसलिए मनीष सिंसोदिया और सत्येंद्र जैन की जगह जल्द ही दो नए मंत्री बनाए जाएंगे। उनका कहना था कि इसकी कोई टाइमलाइन तय नहीं है, लेकिन उनके पास ऐसी जानकारी है कि



**कैलाश गहलोत**

■ अभी ट्रांसपोर्ट और रेवेन्यू समेत 6 विभागों का प्रभार है।

■ अब पावर, पीडब्ल्यूडी, वॉटर, फाइनेंस और होम समेत 8 विभाग और सौंपे जा सकते हैं।



**राजकुमार**

■ अभी समाज कल्याण और सहकारिता समेत 4 विभाग हैं।

■ अब एजुकेशन, हेल्थ, लेबर, विजिलेंस, टूरिज्म जैसे 10 अन्य विभाग और सौंपे जा सकते हैं।

दो नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। उनके इस बयान के बाद ही मंत्री पद की रेस में शामिल नामों को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं।

रेस में आतिशी, सौरभ भारद्वाज, दिलीप पांडे, दुर्गेश पाठक, संजीव झा, सोमनाथ भारती, राखी बिड़लान के नाम सबसे आगे चल रहे हैं। सौरभ भारद्वाज और सोमनाथ भारती तो पहले भी दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके हैं। सौरभ अब दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन हैं, तो वहीं सोमनाथ भारती डीडीए के मेंबर हैं। आतिशी लंबे समय से मनीष सिंसोदिया के साथ शिक्षा में सुधार के लिए काम करती आ रही हैं। दिलीप पांडे, दुर्गेश पाठक, संजीव झा, राखी बिड़लान जैसे युवा विधायकों को भी सरकारी कामकाज का अनुभव है। ऐसे में केजरीवाल इनमें से किसी को मौका दे सकते हैं। इन्हें सीएम या पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं का विश्वासपात्र भी माना जाता है। माना जा रहा है कि नए चेहरों को मौका देकर सीएम दिल्ली सरकार में एक नई युवा लीडरशिप को डिवेलप करने का रास्ता भी खोल सकते हैं।

## DUSIB has no role in demolitions in Mehrauli, HC told

**New Delhi:** The Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) on Tuesday told the Delhi High Court that it has no role in the demolition drive proposed by the Delhi Development Authority (DDA) in Mehrauli or rehabilitation of displaced residents.

DUSIB said the land-owning agency is the DDA and the board has no role to play in the petition filed by Ghosiya Slum Colony in Mehrauli, which was to be demolished by the authorities. The matter came up before Justice Manmeet Pritam Singh Arora, who listed it for further hearing on March 14.

DUSIB said no joint survey of the colony has been carried out with the representatives of DDA as per the Delhi Slum Rehabilitation Policy of 2015 and "since the land owning agency in this case is DDA, therefore, any steps as for the rehabilitation, relocation or under in-situ up-gradation, if at all to be done, needs to be done by the DDA".

DDA, which also filed an affidavit, said factually the colony is not a slum cluster and it is evident from the image taken from Google Earth of Ghosiya Colony of 2006, 2008 and 2010 that the "entire area was green".

The court has passed an interim order directing the authorities to maintain the status quo on 400 jhuggis of the slum colony. P71

# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS | नवभारत टाइम्स | नई दिल्ली | बुधवार, 1 मार्च 2023 | PAGED

## मेरी कॉलोनी : दिल्ली : मेरा शहर

### शालीमार बाग : बिना मजबूत बेस के लगाए झूले

■ एनबीटी न्यूज, शालीमार बाग : शालीमार बाग स्थित रामस्वरूप ठाकुर दास पार्क में करीब महीने भर पहले बच्चों के लिए झूले लगाए गए थे, लेकिन अभी तक इनके बेस को मजबूत नहीं किया गया है। इसके साथ ही यहां पर कुछ झूले वैसे ही खुले रखे हैं। इसकी वजह से यहां बच्चे गिरकर चोटिल होते हैं। लोगों ने डीडीए के अधिकारियों से इसकी शिकायत की, लेकिन कुछ नहीं किया जा रहा है। विभाग से मांग है कि वह तुरंत बचे हुए काम को पूरा करे और लगाए गए झूलों के बेस को मजबूत बनाए।

स्थानीय आरडब्ल्यू एवं जागरूक उपभोक्ता मंच के जनरल सेक्रेटरी सतपाल शर्मा ने बताया कि इस पार्क में ओपन जिम की फ्लोरिंग पिछले एक साल से बदहाल है। इसके कारण जब कोई वहां पर एक्सरसाइज के लिए जाता है, तो गिरकर चोटिल हो जाता है। इस पार्क में जिस जगह पर बच्चों के लिए झूले लगाए जा रहे हैं। वहां पर रेत डाली गई है। तेज हवा चलने पर ये उड़कर बच्चों की आंखों में चली जाती है। विभाग को चाहिए कि यहां पर घास या फिर दूसरी फ्लोरिंग की व्यवस्था करे। पार्क में घूमने आए दूसरे लोगों ने बताया कि कई झूलों के एंगल लगे हैं, लेकिन झूला नहीं लगाया गया है।



बना रहता है हादसे का डर

### काम शुरू फिर भी भर रहा पानी

पिछले कई हफ्तों से लोग झेल रहे हैं गंदगी और बदबू

#### नांगल राया



इस तरह से निकलते हैं राहगीर

#### ■ एनबीटी न्यूज, नांगल राया

नांगल राया इलाके में करीब दो हफ्तों से सीवर का पानी गलियों में बह रहा है। लोगों का कहना है कि घरों के भीतर तक भी गंदा पानी जा रहा है। सीवर के गंदे पानी से आती बदबू की वजह से भी परेशानी होती है। वहीं प्रशासन की तरफ से काम शुरू तो कर दिया गया है, लेकिन हालात अभी पूरी तरह से नहीं सुधरे हैं। लोगों ने बताया कि यहां हर तीन महीने में सीवर ओवरफ्लो की समस्या हो जाती है।

स्थानीय निवासी हरनाम सिंह उर्फ मोनू ने बताया कि अनिल आटा चक्की के पास वाली गली में सीवर ओवरफ्लो की समस्या है। सीवर का गंदा पानी पूरी

गली में भर हुआ है। मोनू ने बताया कि यह समस्या पिछले 15 दिनों से है। यहां नियमित सफाई नहीं होने के कारण सीवर ओवरफ्लो हो रखे हैं। जिससे आने-जाने में लोगों को काफी परेशानी होती है।

मोनू ने बताया कि सोशल मीडिया पर समस्या को लेकर विडियो डालने के बाद संबंधित प्रशासन के अधिकारी यहां आए तो लेकिन कोई काम नहीं हुआ। गंदे पानी में मच्छर पनप रहे हैं। जिससे बीमारी फैलने का डर भी बना हुआ है।

इलाके में रहने वाले राजेश और सागर कुमार ने बताया कि लोगों को मजबूरन गंदे से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे ज्यादा दिक्कत स्कूली बच्चों और ऑफिस जाने वालों को हो रही है। गंदे पानी के छींटे पड़ने के कारण कई बार उनके कपड़े खराब हो जाते हैं।

### कूड़ाघर के बाहर तक फैल जाती है गंदगी

■ एनबीटी न्यूज, नांगल राया : दिल्ली के नांगल राया इलाके में रोड पर फैली गंदगी से आस-पास के लोग और राहगीर काफी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि कूड़ाघर होने के बावजूद कुछ लोग सड़क पर ही कूड़ा फेंकते हैं। कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।

यहां रहने वाले राजकुमार कर्नौजिया ने बताया कि मेन रोड पर कई महीनों तक कूड़े का ढेर लगा रहता है। कूड़ाघर से कुछ दूरी पर दो डिस्पेंसरी

और एक पोस्ट ऑफिस हैं। कूड़े के ढेर के कारण सबसे ज्यादा दिक्कत स्कूली बच्चों को होती है। सुबह और दोपहर को स्कूल बस और वैन इसी रास्ते से आती हैं।

यहां रहने वाले राज पाल तंवर ने बताया कि आवारा जानवरों भी कूड़े में खाने की तलाश में पहुंचते हैं। इस वजह से कूड़ा रोड पर फैल जाता है। इन जानवरों की वजह से सड़क हादसों का भी डर बना रहता है।

बिट्टू ने बताया कि निगम की अनदेखी के कारण कूड़े का ढेर लगा हुआ है।



# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक जागरण

NAME OF NEWSPAPERS---नई दिल्ली, 1 मार्च, 2023

DATED-----

## भविष्य की बेहतर दिल्ली के लिए मास्टर प्लान-2041 के ड्राफ्ट को दी गई मंजूरी

समावेशी विकास, ग्रीन इकोनमी व पर्यावरणीय स्थिरता पर जोर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : राजधानी के विकास और उसकी तरक्की के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अध्यक्ष व उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने मास्टर प्लान-2041 के ड्राफ्ट को मंजूरी दी है। एलजी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस दौरान 'जहां झुग्गी, वहां मकान' के तहत इन सीटू पुनर्वास योजना के लिए महिला लाभार्थियों को संबंधित दिशा-निर्देशों में ढील देने का भी फैसला लिया गया।

साढ़े तीन घंटे से अधिक समय तक चली बैठक में एलजी ने कहा कि मास्टर प्लान-2041 के ड्राफ्ट में समावेशी विकास, पर्यावरणीय स्थिरता, ग्रीन इकोनमी, आधुनिक संरचना के विकास पर जोर दिया गया, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लिए पर्याप्त आवास, टीओडी हब, लैंड पूलिंग, हरित क्षेत्र का विकास, शहर का कायाकल्प और पुनरोद्धार जैसी नई परिकल्पनाएं शामिल हैं। इसके अलावा मास्टर प्लान में आईटी/साइबर हब, ज्ञान आधारित उद्योगों और दिल्ली में अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं को बढ़ावा देने के साथ नाइट इकोनमी के विकास के लिए भी प्रविधान है। डीडीए मास्टर प्लान में लैंड पूलिंग और रिजेनरेशन के माध्यम से निजी भागीदारी से आवास की

क्या है मास्टर प्लान

मास्टर प्लान-2041 डीडीए द्वारा तैयार एक सांविधिक दस्तावेज है, जो वर्तमान स्थिति का आकलन करता है और वांछित विकास को प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शन करके दिल्ली के विकास को सुगम बनाता है। ड्राफ्ट एमपीडी-2041 शहर के भावी विकास को दिशा प्रदान करने के लिए एक 'कार्यनीतिक' और 'सक्षम' ढांचा है, जो पिछली योजनाओं के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर बनाया गया है। विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभवों पर आधारित है। दिल्ली का पहला मास्टर प्लान 1962 में लागू किया गया था। इन योजनाओं को 20 वर्ष के लिए तैयार किया गया है और ये दिल्ली के नियोजित विकास के लिए एक समग्र ढांचा प्रदान करते हैं।

आपूर्ति को बढ़ावा देना चाहता है। मास्टर प्लान में कंप्रिहेंसिव रिवर डेवलपमेंट प्लान के तहत यमुना व उसके बाढ़ क्षेत्रों का कायाकल्प किया जाएगा। इसके अलावा हेरिटेज जोन व आर्कियोलॉजिकल पार्क सांस्कृतिक क्षेत्रों की सीमा तय की गई है। इसमें 25 से 60 वर्गमीटर के स्मॉल फार्मेट हाउसिंग को भी बढ़ावा दिया गया है। इसके अलावा सरकारी व निजी क्षेत्रों की मदद से अफॉर्डेबल रेंटल हाउसिंग काम्प्लेक्स को बढ़ावा देने का प्रविधान इस इस मास्टर प्लान का प्रमुख हिस्सा है। औद्योगिक प्लाट



वीके सक्सेना • जागरण आर्काइव

- अफॉर्डेबल रेंटल हाउसिंग काम्प्लेक्स को मिलेगा बढ़ावा
- ग्रुप हाउसिंग को 40 प्रतिशत तक ग्राउंड कवरेज
- वैकल्पिक साइटों पर निम्न आय वर्ग के लिए मकान बनेंगे
- औद्योगिक प्लाट पर वर्कर हाउसिंग पर दिया गया जोर
- पार्किंग में ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाना भी होगा अनिवार्य

पर वर्कर हाउसिंग पर भी काफी जोर दिया जाएगा।

वहीं, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के लिए 40 प्रतिशत तक का ग्राउंड कवरेज व वैकल्पिक साइटों पर इंडब्ल्यूएस हाउसिंग का प्रविधान भी मास्टर प्लान में किया गया है। इसके अलावा फारेन मिशन को बढ़ा हुआ ग्राउंड कवरेज व एफएआर देने की बात भी मास्टर प्लान में शामिल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूलों के अपग्रेडेशन के लिए भी बढ़ा हुआ एफएआर एरिया में हास्टल बनाए जाएंगे।

बैठक स्थगित करें : भारती राब्यू, नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक और डीडीए सदस्य सोमनाथ भारती ने मंगलवार को एलजी वीके सक्सेना को पत्र लिखकर मास्टर प्लान-2041 पर निर्णय लेने संबंधी बैठक को स्थगित करने का अनुरोध किया। बैठक की तैयारी के लिए दस्तावेज को पढ़ने के लिए समय की कमी का हवाला देते हुए अनधिकृत कालोनियों के विकास का मुद्दा भी उठाया। भारती ने एलजी को याद दिलाया कि आबकारी नीति सहित अन्य नीतिगत फैसलों पर अंतिम निर्णय एलजी लेते हैं, जबकि उसकी अंतिम जिम्मेदारी दिल्ली के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के कंधों पर आ जाती है। दिल्ली के पिछले 'मास्टर प्लान-2021' में कम-से-कम 500 संशोधन किए गए थे, क्योंकि यह विचार किए बिना पारित किया गया था।

अब पार्किंग में ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाना भी मास्टर प्लान में अनिवार्य किया गया है।

बता दें कि एमपीडी-2041 का ड्राफ्ट नागरिक और स्टेक होल्डरों की व्यापक भागीदारी के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय, आरडब्ल्यूए, ट्रेडर्स और मार्केट एसोसिएशन, एनजीओ, संगठन, प्रोफेशनल्स, विशेषज्ञ और आम व्यक्तियों के विचार शामिल किए गए हैं। प्राधिकरण की बैठक में डीडीए वीसी सुभाषीश पंडा और अन्य सदस्यों ने भी हिस्सा लिया।

निवासियों के पहचान दस्तावेज पेश करें याचिकाकर्ता : हाई कोर्ट

महरीली ध्वस्तीकरण प्रकरण

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : महरीली में चल रहे ध्वस्तीकरण अभियान के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता संगठन को निर्देश दिया कि 467 स्थानीय निवासियों के पहचान दस्तावेज पेश करें। पीठ ने याचिकाकर्ता की अधिवक्ता अनुप्रदा सिंह को निवासियों के पहचान दस्तावेज की सूची दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) व दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) के अधिवक्ता को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही डीडीए व डूसिब द्वारा दायर हलफनामे पर प्रत्युत्तर भी दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले पर डूसिब अधिकारियों ने कहा उनकी इसमें भूमिका नहीं है।

# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI  
WEDNESDAY, MARCH 1, 2023

# DDA Eyes Inclusive Growth, Looks To Give Night Economy & Infra A Boost

## Conservation Of Heritage Sites Also In Focus As LG Gives His Nod To Master Plan 2041 Draft

Vibha.Sharma@timesgroup.com

New Delhi: Lieutenant governor V K Saxena approved the Delhi Master Plan 2041 on Tuesday in a meeting with Delhi Development Authority. The new plan provides for inclusive development of the city land, environmental sustainability, green economy, sufficient housing for all, and innovative interventions such as transit-oriented development hubs, land pooling and rejuvenation and regeneration of certain areas. DDA updated MPD41 on the direction of the LG in a meeting held some time ago.

The plan also addresses Delhi's night-time economy, heritage conservation, mix-vertical development and slum rehabilitation in the city. Though the draft MPD41 talked about the night economy in general terms, DDA, on the LG's recommendation, has now identified specific circuits to be developed. Similarly, DDA has also identified cultural precincts and heritage zones to be developed to boost tourism.

A DDA official said, "Connaught Place, Chandni Chowk-Daryaganj, Khan Market and Hauz Khas will be developed as food and shopping circuits, while Coronation Pillar-Kashmere Gate, Safdarjung's Tomb-Quatub Minar, Humayun's Tomb-Safdarjung's Tomb and Shahjahanabad will be developed as heritage circuits."

According to officials, MPD41 will now be sent to the Union housing and urban affairs ministry for gazette notification.

"The master plan emphasises regeneration of brown fields, planned and unplanned areas covering old and dilapidated godowns clusters and industries operational in 26 non-conforming areas. Though these points were mentioned in the first draft, we have fixed timelines for them," said a senior DDA official. "MPD41 gives people the opportunity to demolish and reconstruct their old and dilapidated properties." Old godown clusters in non-conforming areas can also be regularised now

### WHAT'S IN STORE DRAFT MASTER PLAN 2041 APPROVED BY LG

Decision taken to relax guidelines pertaining to female beneficiaries of in situ rehabilitation under 'Jahan Jhuggi Wahan Makaan' programme

Focus on inclusive development, environmental sustainability, green economy, infrastructure development, sufficient housing for all sections, innovative interventions like transit-oriented development hubs, landpooling, development of green area, and rejuvenation and regeneration of the city

Development-control norms related to use of premises, parking requirements, mixing of uses, etc., simplified

GIS-based land-use plan developed to enable stakeholders to understand applicability of policies/provisions under draft Master Plan on ground

#### Green steps

- Plan prioritises protection and improvement of 'green-blue' assets. This includes biodiversity parks, integrated floodplain planning and revival of baolis/waterbodies
- Buildings will also be required to meet green-blue factor conditions to ensure sustainable development
- Proposes rejuvenation of the Yamuna and its floodplain through a comprehensive plan



#### Other highlights

- Development of non-ownership/ rental housing and affordable rental housing complexes
- Draft plan permits flexible loading of floor-area ratio (FAR)
- Provisions made for regeneration of existing/brown-field areas through retrofitting, reconstruction or area-level redevelopment
- It will cover planned, unplanned, non-conforming godowns and industrial clusters
- Regeneration in old and dilapidated areas while fulfilling demands for social infrastructure in dense areas; foster walkable mixed-use neighbourhoods
- Compact and sustainable development through TOD-based projects to bring jobs and homes closer to mass transit



#### Promoting clean economies

- Such as IT/cyber hubs, knowledge-based industries, R&D facilities and night-time economy
- Providing development strategies for hubs and centres, and modernisation of existing district centers



#### City hubs

- Preparing 'conservation and revitalisation management plans' for cultural precincts, which permits adaptive reuse of heritage buildings
- Promote development of cultural and entertainment hubs
- Emphasises on the development of city hubs, circuits, plazas and night-time circuits



#### Transport infra

- A comprehensive mobility plan to achieve systemic integration across all levels and modes of urban transport
- Parking management and green mobility, such as the use of e-vehicles and e-charging infrastructure



after rebuilding them as per the master plan norms.

Explaining the concept of regeneration of an area, an official said, "Facilities and open spaces in the city have become inadequate with steady growth in population. The existing built stock in many areas is old and derelict. There is a requirement of regeneration as well as strate-

gic interventions to unlock the latent potential of certain areas in the city."

PD41 also proposes to boost housing supply by private participation through land pooling and regeneration of planned and unplanned areas with incentive FAR. It encourages development of non-ownership/ rental housing, particularly in pla-

ces close to mass transit, with new formats like serviced apartments, condominiums, hostels, student housing, etc.

The plan also prioritises protection and improvement of good quality green-blue assets for active/passive recreation and leisure. A press statement later identified these as "biodiversity parks, integ-

rated floodplain planning, revival of baolis and water bodies, development of walking and cycling trails and rejuvenation of drain buffers".

There are now guidelines for the conservation of over 1,700 heritage sites. The official said, "There are structures belonging to ASI, MCD, Delhi government, DDA and indivi-

duals, many of whom own havelis. MPD41 promotes the protection and conservation of such havelis through transferable conservation rights to allow purchase of development rights to these places and conservation under the guidelines while the original rights vest with the owner."

The guidelines will likely motivate people to conserve heritage buildings notified by local bodies. These are mostly privately-owned and in active use by the occupants. Many of these are under severe threat due to disrepair, incompatible use and insensitive reconstruction of full or part.

The master plan also stresses a comprehensive mobility plan (CMP) for Delhi to achieve systemic integration across all levels and modes of urban transport. Said an official: "Given that the efficiency of urban transport depends on seamless integration among road-based, rail-based, intermediate public transport and walking/cycling systems, Delhi needs a CMP involving all agencies."

MPD41, which was supposed to have been implemented earlier this year, got delayed for various reasons, including pending finalisation of the green development area policy, amendments in DDA Act and delay in incorporation of suggestions made by the public. Last September, after the Supreme Court observed that the master plan couldn't remain in limbo, DDA assured it would be placed before the authorities in December; sent to the housing ministry in January and the final document published by April 30.

AAP MLA and DDA member Somnath Bharti felt MPD41 shouldn't be passed in a hurry. In a letter to the LG, he said two days were given to read through the 300 pages. "The inadequate time given to read through the document is an injustice to me and Delhi's people. The master plan shouldn't be passed without giving proper consideration," he wrote.

# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

## अमर उजाला

NAME OF NEWSPAPERS

नई दिल्ली | बुधवार, 1 मार्च 2023

DATED

# 20 साल के विकास का खाका तैयार, तीन करोड़ आबादी को घर मुहैया कराने पर जोर

## मास्टर प्लान 2041 के मसौदे को उपराज्यपाल ने दी मंजूरी, पर्यावरण संरक्षण पर फोकस

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने अगले बीस सालों के लिए राजधानी के विकास का खाका तैयार किया है। मास्टर प्लान-2041 के मसौदे में तीन करोड़ आबादी के लिए घर और समावेशी विकास पर जोर दिया गया है। सभी बुनियादी सुविधाओं के विकास में पर्यावरण संरक्षण पर फोकस रहेगा। मास्टर प्लान में नाइट लाइफ, रेस्टोरेंट को लेकर भी प्रावधान किए गए हैं।

उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में मंगलवार को डीडीए बोर्ड की बैठक में मास्टर प्लान-2041 के मसौदे को मंजूरी दी गई। इसे अब केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय को भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचना जारी की जाएगी। मसौदे के अनुसार दिल्ली की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए



### पार्किंग भी कराएंगे मुहैया

डीडीए अपनी सभी आवासीय योजनाओं के साथ पार्किंग भी मुहैया कराएगा। यही नहीं, मास्टर प्लान में अपार्टमेंट, हॉस्टल, पीजी, श्रमिक आवास, किराए के आवास परिसर के विकास का भी प्रस्ताव है। इसके साथ, पुराने मकानों को मौजूदा जरूरतों के हिसाब से दुरुस्त भी किया जा सकेगा।

लैंड पुलिंग पॉलिसी, आवासीय और सामाजिक बुनियादी ढांचे के साथ एकीकृत सार्वजनिक स्थान, पुरानी सोसायटी में अतिरिक्त फ्लोर एरिया

घर में सुनिश्चित होगा महिलाओं का स्वामित्व : मसौदे के अनुसार आवासीय इकाइयों के आवंटन में पति व पत्नी का नाम साथ-साथ होगा। इससे महिलाओं का स्वामित्व सुनिश्चित हो सकेगा।

### प्रदूषण में लाई जाएगी कमी

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मास्टर प्लान में विशेष प्रावधान किया गया है। इसके तहत ज्यादा जोर हरित क्षेत्र के विकास पर रहेगा। हर प्रोजेक्ट के साथ पर्यावरणीय मानकों का ध्यान रखा जाएगा।

वाहन प्रदूषण में कमी के लिए सार्वजनिक परिवहन के सभी माध्यमों में तालमेल की कोशिश होगी। अंतिम ग्राहक तक कनेक्टिविटी का भी ध्यान रखा गया है। मसौदे में ई-वाहन चार्जिंग के बुनियादी ढांचे के विकास का भी प्रावधान है। निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने का प्रयास होगा। इससे प्रदूषण स्तर में कमी आएगी।

रेश्यो देने के साथ हरसंभव विकल्पों का इस्तेमाल कर अतिरिक्त मकानों का निर्माण होगा।

>> जीवंत दिल्ली को निर्माण का लक्ष्य : पेज 3

### यमुना के विकास पर भी खास ध्यान

यमुना के पानी को साफ करने के साथ ही मास्टर प्लान में यमुना के बाढ़ क्षेत्र का भी कार्याकल्प करने का प्रावधान है। मास्टर प्लान में व्यापक नदी विकास योजना की बात है। इसमें यमुना के इको सिस्टम को ध्यान में रखकर नम भूमि, बावली व नालों के बफर क्षेत्र को संरक्षित किया जाएगा।

नालों व नदी किनारे बफर जोन बनेगा। इसमें पैदल व साइकिल पथ के साथ बैठने को भी इंतजाम होगा। वहीं, नाले की सफाई पर भी जोर दिया गया है। इससे नाले के किनारे चलते-चलते प्राकृतिक सौंदर्य का नजारा लिया जा सकेगा।

मास्टर प्लान 2021 की समय सीमा करीब दो साल पहले पूरी हो गई थी। इसकी जगह मास्टर प्लान 2041 को लेना था, पर अभी तक

### दो साल की देरी

यह तैयार नहीं हो सका था। अब अधिसूचित होने का इंतजार है। दरअसल, मास्टर प्लान सांविधिक दस्तावेज है। यह मौजूदा स्थिति का आकलन करने के साथ आने वाले बीस सालों की जरूरतों को ध्यान में रखता है।

## रेस्तरां, आवास के लिए 49 दिनों में जारी होगा लाइसेंस

### एकीकृत पोर्टल शुरू, देरी हुई तो स्वतः जारी होगा

नई दिल्ली। आतिथ्य क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रेस्तरां, आवास और बोर्डिंग प्रतिष्ठानों के लाइसेंस लेने की प्रक्रिया आसान करने के लिए मंगलवार को संशोधित एकीकृत पोर्टल का शुभारंभ किया। उद्यमियों, व्यवसायियों और स्टार्टअप के लिए लाइसेंस हासिल करने की प्रक्रिया फेसलेस (ऑनलाइन) कर दी गई है। इसके माध्यम से आवेदन करने पर 49 दिनों में लाइसेंस जारी करना होगा। देरी होने पर लाइसेंस स्वतः जारी किया जाएगा। >> पेज 3



वीके सक्सेना

# डीडीए के नये मास्टर प्लान में जीवंत दिल्ली के निर्माण का लक्ष्य

अमर उजाला ब्यूरो

## मुख्य बिंदु

### मास्टर प्लान 2041

नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान-2041 को दो खंडों व 10 अध्यायों में विभाजित किया गया है। इसका विजन सतत रहने योग्य और जीवंत दिल्ली को बढ़ावा देना है। इसके अलावा दिल्ली के निवासियों के सुख और भलाई के लिए तीन लक्ष्यों को पूरा किया जाएगा। यह मसौदा नागरिक और स्टेकहोल्डरों की व्यापक भागीदारी के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय, आरडब्ल्यूए, टेडस और मार्केट एसोसिएशन, एनजीओ, संगठन, प्रोफेशनल्स, विशेषज्ञ आदि शामिल हैं।

■ पहले खंड में पर्यावरण, अर्थव्यवस्था (व्यापार और वाणिज्य, थोक व्यापार, उद्योग और सरकारी कार्यालयों सहित), विरासत, संस्कृति और सार्वजनिक स्थान, आश्रय और सामाजिक अवसरचना, परिवहन और गतिशीलता, और भौतिक अवसरचना के छह अध्याय बनाए गए हैं।

■ इस अध्याय में मास्टर प्लान के लिए योजना निर्णयों और मूल्यांकन ढांचे को भी शामिल किया गया है जिसमें प्रगति की निगरानी के लिए प्रमुख कार्य-निष्पादन संकेतक और आर्थिक समीक्षा की सुविधा के लिए एक कार्यन्वयन ढांचा शामिल है।



मास्टर प्लान में नाइट लाइफ संस्कृति को बढ़ावा देने का भी इंतजाम है। खाने-पीने और घूमने-फिरने के शौकीनों व युवाओं के लिए वाइब्रेंट नाइट लाइफ, रेस्टोरेंट समेत दूसरे कई प्रावधान किया गया है। इससे खान मार्केट, होज खास सरीखे बाजार देर रात तक गुलजार रहेंगे।

### नाइट लाइफ को मिलेगा बढ़ावा

मास्टर प्लान में खुली छत पर भी रेस्टोरेंट पहले की अपेक्षा अधिक विस्तृत दायरे में लगाया जा सकेगा। रात की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए विशेष कारिडोर की पहचान की जाएगी। इन पर लाइटिंग के साथ सुरक्षा का पर्याप्त इंतजाम रहेगा।

### 2041 तक तीन करोड़ की होगी आबादी

मास्टर प्लान में डीडीए का अनुमान है कि दिल्ली की 2041 तक की आबादी करीब तीन करोड़ की होगी। 2021 के आधार वर्ष पर अभी यह दो करोड़ से ज्यादा है। 2031 तक यह आंकड़ा 2.48 करोड़ हो जाएगा, जबकि 2036 तक इसके 2.69 करोड़ होने का अनुमान है। मास्टर प्लान में इस आबादी की जरूरतों को ध्यान में रखकर बुनियादी सुविधाओं के विकास का प्रावधान है।

### 1962 में लागू हुआ था पहला मास्टर प्लान

दिल्ली के लिए पहला मास्टर प्लान 1962 में डीडीए एक्ट 1957 के तहत लागू किया गया था। इन योजनाओं को 20 साल की परिधि अवधि के लिए तैयार किया गया है और दिल्ली के निर्वाचित विकास के लिए एक समय ढांचा प्रदान करते हैं। मास्टर प्लान-2041 दिल्ली के भावी विकास को दिशा प्रदान करने के लिए एक 'कार्यनीतिक' और 'सश्रम' ढांचा तैयार किया गया है।

# अब रेस्तरां, बोर्डिंग प्रतिष्ठानों और आवास का लाइसेंस लेना आसान

एलजी ने संशोधित एकीकृत पोर्टल का किया शुभारंभ, आतिथ्य क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। आतिथ्य क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने रेस्तरां, आवास और बोर्डिंग प्रतिष्ठानों के लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को आसान कर दिया है। मंगलवार को उन्होंने संशोधित एकीकृत पोर्टल का शुभारंभ किया। एकल खिड़की की शुरुआत से आतिथ्य क्षेत्र के उद्यमियों, व्यवसायियों और स्टार्टअप के लिए लाइसेंस हासिल फेसलेस (ऑनलाइन) कर दी गई है।



### 49

दिन के भीतर मिलेगा लाइसेंस प्रक्रिया फेसलेस, कम दस्तावेज की होगी जरूरत

दिल्ली पुलिस, एमसीडी, एनडीएमसी, दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से अब लाइसेंस लेने या इसका नवीनीकरण भी इस पोर्टल से कर सकेगी। सभी एजेंसियों से 49 दिनों से लाइसेंस जारी करना होगा। इसमें देरी होने पर आवेदक के नाम लाइसेंस स्वतः जारी किया जाएगा। इस पहल से रात्रिकालीन अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे दिल्ली में भी देश विदेश की तर्ज पर अग्रणी सेवाएं मिल सकेंगी। उपराज्यपाल ने कहा कि इस कदम से एक विनियमन में सुधार, सरलीकरण

### देर रात तक छतों पर बने रेस्तरां में भी परोसा जाएगा खाना

दिल्ली के भोजनालयों और रेस्तरां, डीडीए की ओर से संचालित क्लबों द्वारा संचालन के समय को बढ़ाने जैसे उत्साहजनक प्रयोग किए गए हैं। इसी तरह अप्पेइको और छतों पर खूले में खाने की अनुमति मिलने से अब एनसीआर के शहरों में जाने वाले भी देर रात तक दिल्ली में इन प्रतिष्ठानों में सेवाएं मुहैया करी जाएंगी। संशोधित पोर्टल में लाइसेंस देने और नवीनीकरण की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और फेसलेस कर बनाया गया है। अब पोर्टल पर बहुत छोटा, सरल और सामान्य आवेदन पत्र (सीएएफ) जमा करके अपने लाइसेंस या इसका नवीनीकरण करने में सक्षम होंगे। यह सीएएफ सभी 05 लाइसेंसिंग निकायों के लिए लागू होगा। इसमें दिल्ली पुलिस, एमसीडी, एनडीएमसी, डीपीसीसी और दिल्ली फायर सर्विस शामिल हैं।

### फॉर्म के लिए कम दस्तावेज की होगी जरूरत

नए सीएएफ के लिए 24 दस्तावेज को ही अपलोड करना होगा। पहले 52 दस्तावेज फॉर्म के साथ अपलोड करना होता था, जिसे अब सरल बना दिया गया है। अब पांच निकायों के लिए एक ही अडॉप्टिंग जमा करने की जरूरत होगी। लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए दस्तावेज की संख्या कम करने से भी लाइसेंस हासिल करना और आसान हो जाएगा। सभी एजेंसियों के लिए लाइसेंस या अनारपत प्रमाण पत्र (एनओसी) की वैधता बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी गई है। पहले विभिन्न एजेंसियों के लिए वैधता एक से पांच वर्ष थी। इसके लिए एक आवेदक को नवीनीकरण के लिए इधर-उधर भागना पड़ता था।

होगा। आतिथ्य क्षेत्र के लिए नियम और शर्तें कठिन होने की वजह से उद्यमियों को मुश्किल पेश आ रही थी। प्रधानमंत्री के ईज ऑफ इंडिया विजनेम के मिशन पर आगे बढ़ते हुए इस दिशा में पहल की गई है। सरल लाइसेंसिंग

मानदंडों से आतिथ्य क्षेत्र को बढ़ावा मिलने के साथ ही रात्रिकालीन अर्थव्यवस्था भी बेहतर होगी।

मौजूदा लाइसेंस व्यवस्था की कमियों और उद्यमियों व नागरिकों की सहूलियत को देखते हुए प्रधान सचिव

(गृह) के अधीन एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। एलजी ने कहा कि समिति रिपोर्ट समय में अपने कार्य को पूरा करने में सक्षम रही है। इसके परिणाम के तौर पर एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की गई है।

# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक भास्कर नई दिल्ली, बुधवार, 01 मार्च, 2023

RS

DATED

अमर उजाला

## मास्टर प्लान 2041 को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दी मंजूरी

नई दिल्ली। दिल्ली के लिए शुक्रवार महत्वपूर्ण रहा। तीन घंटे के मेराथन बैठक में उपराज्यपाल वीके सक्सेना के दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अध्यक्ष ने मास्टर प्लान 2041 की मंजूरी दे दी। उपराज्यपाल सक्सेना ने कहा कि इससे विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी और राष्ट्रीय राजधानी के भावी विकास को मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इस बैठक में डीडीए ने 'जहां झुग्गी वहां मकान' कार्यक्रम के तहत पुनर्वास के लिए महिला लाभार्थियों से संबंधित दिशा-निर्देशों में ढील देने का भी निर्णय लिया। बैठक की शुरुआत करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली मुख्य योजना-2041 में समावेशी विकास, पर्यावरणीय स्थिरता, ग्रीन इकॉनमी, आधुनिक संरचना के विकास पर जोर दिया गया है।

## महरोली ध्वस्तीकरण मामला: हाई कोर्ट ने निवासियों से मांगे पहचान दस्तावेज

महरोली में डीडीए की  
ओर से की जा रही  
तोड़फोड़ की कार्रवाई

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को महरोली ध्वस्तीकरण मामले में एक बड़ा आदेश जारी किया। अदालत ने महरोली इलाके में गोशिया कॉलोनी झुग्गी के निवासियों के वकील से कहा कि वे 467 निवासियों के पहचान संबंधी दस्तावेजों की सूची



अदालत के समक्ष प्रस्तुत करें। इसके साथ ही अदालत ने सुनवाई के लिए 14 मार्च तारीख तय की।

बता दें कि निवासियों ने डीडीए की ओर से कॉलोनी में की जा रही तोड़फोड़ की कार्रवाई को चुनौती

दी गई है। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने अधिवक्ता अनुप्रधा सिंह से बुधवार तक डीडीए और डीयूएसआईबी के वकील को पहचान दस्तावेजों की सूची सौंपने के निर्देश दिए। यही नहीं अदालत ने उन्हें डीडीए और डीयूएसआईबी की ओर से दाखिल हलफनामों पर भी जवाब देने को कहा गया है। इस पर अधिवक्ता अनुप्रधा ने हलफनामों पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने उन्हें एक हफ्ते की मोहलत दी है।

## गोशिया कॉलोनी के 467 लोगों के पहचान संबंधी दस्तावेज की सूची तलब

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को महरोली में विध्वंस मामले में गोशिया कॉलोनी झुग्गी के 467 लोगों के पहचान संबंधी दस्तावेजों की एक सूची मुहैया करने को कहा है। इस मामले को 14 मार्च के लिए अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की कार्रवाई को चुनौती दी थी।

जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने वकील अनुप्रधा सिंह से बुधवार तक डीडीए और डूसिब के वकील को प्रभावित लोगों के पहचान संबंधी दस्तावेज की सूची मुहैया करने को कहा है। पीठ ने डीडीए और डूसिब की ओर से दायर हलफनामे का जवाब दाखिल करने को भी कहा है। अधिवक्ता अनुप्रधा को अदालत ने इसके लिए एक

महरोली मामले को हाईकोर्ट में चुनौती, अब 14 मार्च को होगी अगली सुनवाई

सप्ताह का समय दिया है। डीडीए ने अपने हलफनामे में कहा है कि जिस जमीन की बात की जा रही है वह दक्षिण मध्य दिल्ली का हिस्सा है और महरोली पुरातत्व पार्क के तहत है। रिज क्षेत्र में बड़ी संख्या में विश्व प्रसिद्ध एतिहासिक स्मारक मौजूद हैं। इनकी देखरेख का जिम्मा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास है। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि डीडीए के भूमि रिकॉर्ड के मुताबिक खसरा नंबर 216 व 217 लाडोसराय में है और इसे हरित क्षेत्र में चिह्नित किया गया है। शुरू से ही इसे दिल्ली के मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जाना है और महरोली विरासत क्षेत्र में होने की वजह से इसे हरित क्षेत्र के तौर पर बनाया और संरक्षित करना है।

# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

1 मार्च • 2023

राष्ट्रीय  
**सहारा**

**पंजाब केसरी**  
DELHI

## दिल्ली की सूरत बदल देगा नया मास्टर प्लान 2041



■ राजनिवास में आयोजित बैठक में उप-राज्यपाल ने लगाई मुहर

■ लोगों को देगा पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली

■ जहां झुग्गी-वर्हीं मकान योजना के तहत महिलाओं के नाम होगा फ्लैटों का आवंटन

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने बुधवार को नए मास्टर प्लान-2041 को मंजूरी दे दी। प्राधिकरण अध्यक्ष एवं उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का मानना है कि नया मास्टर प्लान देश की राजधानी दिल्ली की सूरत को बेहतर बनाने वाला साबित होगा और इससे बेहतर विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। राजनिवास में संपन्न हुई डीडीए की इस बैठक में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सुभाषीश पांडा, प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों समेत सभी आला अधिकारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि नए मास्टर प्लान में जहां झुग्गी-वर्हीं मकान योजना के तहत महिलाओं के नाम पर आवंटन पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है।

प्राधिकरण का कहना है कि बैठक में जहां झुग्गी-वर्हीं मकान जैसी योजनाओं में महिलाओं को प्रमुख रूप से छूट देने का निर्णय लिया गया है। प्राधिकरण का कहना है कि मास्टर प्लान में समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की पहल की गई है। इसमें प्रमुख रूप से सभी बेघरों को आवास मुहैया कराना, लैंड पूलिंग, ग्रीन एरिया डेवलपमेंट और शहर का कायाकल्प कर उसे पुनर्जन्म देना शामिल है। नया मास्टर प्लान दिल्ली के विकास को और सुगम बनाकर गति देगा। लोगों को बेहतर पर्यावरण के साथ अच्छा माहौल मिलेगा। इस मास्टर प्लान का उद्देश्य दिल्ली को भविष्य के लिए तैयार कर लोगों को गुणवत्ता युक्त, किफायती और सुरक्षित जीवन प्रदान करना है।

मास्टर प्लान में जहां लोगों के बेहतर जीवन शैली देने की कोशिश की गई है, वहीं बुनियादी सुविधाओं में पर्यावरण, अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने विरासत, संस्कृति और सार्वजनिक स्थान, परिवहन को मजबूत बनाने पर फोकस किया गया है। अधिकारी ने बताया कि मास्टर प्लान में यमुना नदी के कायाकल्प का भी प्रस्ताव है। प्राधिकरण के अधिकारी ने नए मास्टर प्लान के प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख करते हुए कहा कि मास्टर प्लान का यह मसौदा लोगों को केंद्र बिंदु में रखकर तैयार किया गया है। सभी हितधारकों, विभाग, स्थानीय निकाय, आरडब्ल्यूए, व्यापारी, बाजार संघ, गैर सरकारी संगठन, संगठन, पेशेवर, विशेषज्ञ एवं अन्य लोगों के भविष्य का ध्यान रखा गया है।

**महरौली तोड़फोड़ मामला 14 मार्च को होगी सुनवाई**

## हाईकोर्ट ने निवासियों के पहचान दस्तावेजों की मांगी सूची

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को महरौली में घोसिया स्लम कॉलोनी के निवासियों के वकील से 467 निवासियों के पहचान दस्तावेजों की एक सूची प्रदान करने के लिए कहा। मामले को आगे की सुनवाई के लिए 14 मार्च को सूचीबद्ध किया है। जस्टिस मनमोत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने वकील अनुप्रधा सिंह से बुधवार तक डीडीए और डीयूएसआईबी के वकील को पहचान दस्तावेजों की एक सूची देने को कहा। बेंच ने उन्हें डीडीए और डीयूएसआईबी द्वारा दायर हलफनामों पर एक प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए भी कहा है। वकील अनुप्रधा ने हलफनामों पर प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए समय मांगा। बेंच ने उन्हें एक सप्ताह का समय दिया है।

डीडीए ने अपने हलफनामे में कहा है कि विचाराधीन भूमि महरौली पुरातत्व पार्क में आती है जो दक्षिणी मध्य रिज का हिस्सा है जहां बड़ी संख्या में ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध स्मारक मौजूद हैं जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित/असंरक्षित और अनुरक्षित हैं (एसएसआई)। हलफनामे में कहा गया है कि डीडीए द्वारा बनाए गए भूमि रिकॉर्ड के अनुसार यह पेश किया गया है कि खसरा संख्या 216 और 217 गांवों के खसरा सराय महरौली नई दिल्ली में वर्तमान याचिका की भूमि विषय वस्तु झूठी है, यह भी पेश किया गया कि खसरा संख्या 217 एक अधिग्रहीत भूमि है। बेंच को बताया गया कि इस



भूमि को शुरू से ही दिल्ली के मास्टर प्लान में हरे रंग के रूप में चिह्नित किया गया है और इसे हरित के रूप में विकसित और बनाए रखा जाना है और महरौली विरासत क्षेत्र के तहत संरक्षित किया जाना है। कहा गया कि भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत जारी एक अधिसूचना के माध्यम से इस क्षेत्र को आराम के लिए आरक्षित के रूप में अधिसूचित किया गया है, जो कुतुब से अधिक अंधेरिया जाने वाली सड़क के पश्चिमी भाग में स्थित है। 17 फरवरी को अदालत ने डीडीए और डीयूएसआईबी को महरौली में घोसिया स्लम कॉलोनी के निवासियों की याचिका पर हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था। बेंच ने डीडीए के स्थायी वकील से दस्तावेजों और गूगल छवियों के साथ एक हलफनामा दायर करने को कहा था। हाईकोर्ट ने डीयूएसआईबी के वकील से याचिकाकर्ता कॉलोनी को अधिसूचित जेजे क्लस्टर की सूची में जोड़ने और बाद में इसे हटाने के लिए आधार का उल्लेख करने के लिए भी कहा था। याचिका घोसिया कॉलोनी सेवा समिति और अन्य ने वकील अनुप्रधा सिंह के माध्यम से दायर की है।

# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

THE HINDU  
News

Wednesday, March 1, 2023  
DELHI

-----DATED-----

## The high-decibel defenders of Delhi

**Mehul Malpani**  
NEW DELHI

“Forget about sleeping, you can’t even lie down in peace with the loud music and noise when there is a function in your lane or neighbourhood,” said Gagan Maheshwari, 46, a resident of Rohini’s Prashant Vihar. “But that’s the kind of adjustment you have to make as a neighbour,” he added.

In 2022, Delhi Police received 46,815 noise pollution-related complaints out of which 40,091 were against DJ music at weddings and other events, as per the official data shared by a senior officer.

While most complaints were received on the police’s 100 and 112 emergency helplines, 2,286 calls were also received on the 24x7 dedicated helpline for noise pollution grievances 155271.

Another senior officer said that the maximum calls were received during

### Legal action can be taken against offenders under provisions of the Delhi Police Act

the festival and the wedding season. “The number of calls increases in the evening and night,” he added. Many people living in Delhi have informal outdoor arrangements for gatherings. They erect tents down their lanes and may flout the no-loud-speakers-after-10 p.m. rule instituted in 2005.

Rashmi Mehta, 48, a resident of Green Park, said that there is a temple next to her house with frequent post-10 p.m. activity.

“People organise *Devi jagrans* or *keertans* with loud music,” she says, adding that when it’s a religious function, it’s difficult to say anything. “Last year, both my son and daughter had their Board exams so during one such event, I

had to go the temple and request them to reduce the volume.” They reduced the volume only a little.

### Legal provisions

Deputy Commissioner of Police (PRO) Suman Nalwa said, “Local police can take legal action under the provisions of the Delhi Police Act Sections 29, 32, and 113, and the Environment (Protection) Act Sections 5 and 15.” Ms. Nalwa also said that the organiser must seek permission from the district deputy commissioner of police (DCP) before getting the no-objection certificate from the traffic unit and Municipal Corporation of Delhi (MCD) or Delhi Development Authority (DDA) to organise a public function.

However, a Residents’ Welfare Association (RWA) president from Malviya Nagar said that in most cases people don’t take the necessary permissions. “They just inform the local RWA so that we can make

arrangements, such as opening alternate society gates or shifting cars parked in the lane to somewhere else,” she said.

Ravinder Singh, 47, who used to run a DJ company in Kalkaji, said that it was difficult to turn down the music because it would mean refusing drunk clients. “Drunk people force the DJ staff to keep playing even after the permitted time. They also get aggressive if we refuse to play or lower the volume.”

A tent house owner, Mohammad Suhail, 32, also said that at many functions, people tend to play music till 2-3 a.m. “What can we or the DJ do?” he added.

Another police officer, however, said that it is the DJ’s responsibility to stop the music in time. Violations – the use of loud speakers or public address systems after 10 p.m. – are punishable with a fine of ₹10,000 and seizure of equipment.

# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost

NEW DELHI | WEDNESDAY, 1 MARCH, 2023

DATED

## DDA approves Master Plan 2041

SATVIKA MAHAJAN

**NEW DELHI:** The Delhi Development Authority (DDA) has approved the draft Master Plan 2041 for the Capital.

The decision was taken during a marathon meeting that went on for more than three and a half hours at the Raj Niwas here. It was chaired by the Lt Governor (L-G), who is also the chairman of the DDA, officials said.

The Authority in its meeting, also took a decision for relaxation in guidelines pertaining to female beneficiaries for in situ rehabilitation under Jahan Jhuggi Wahan Makan programme.

The Draft MPD-2041 is a 'strategic' and 'enabling' framework to guide future growth of the city, built upon the lessons learnt from the implementation of the previous plans and based on learning's from across the country with respect to implementation of various projects and schemes, as per DDA officials.

Saxena said that, the thrust of MPD-2041, was inclusive development, environmental sustainability, green economy, infrastructure development that included sufficient housing for all sections of the society, innovative interventions like TOD Hubs, Land Pooling, Green Area Development and Rejuvenation and Regeneration of the city. MPD-2041 has been divided into 2 Volumes, 10 Chapters with a vision to "Foster a Sustainable, Liveable and Vibrant Delhi".

The three major goals in this plan includes, movement to make Delhi an environmentally sustainable city that provides a healthy environment for its citizens that is resilient to impacts of climate change and disasters. Develop as a future-ready city that offers good quality, affordable and safe living environments with efficient services and green mobility systems.

emerge as a dynamic place for economic, creative and cultural development.

As per DDA officials, MPD-2041 is prepared based on extensive citizen and stakeholder engagement which includes Govt. Departments, Local Bodies, RWAs, Traders and Market Associations, NGOs, Organisations, Professionals, experts and Individuals etc. which form the basis of the exercise for vision of future for Delhi.

The Draft Plan prioritises protection and improvement of good quality green-blue assets for active/passive recreation and leisure. This includes biodiversity parks, integrated floodplain planning, revival of baolis/ water bodies, development of walking and cycling trails along with the rejuvenation of drain buffers. Buildings will also be required to meet Green-Blue Factor (GBF) conditions to ensure sustainable development practices. Additionally, the plan also proposes the rejuvenation of the Yamuna River and its floodplain through preparation of the Comprehensive River Development Plan for river Yamuna.

Plan proposes to encourage the development of a night time economy for safe and a vibrant city, it also includes norms for heritage zones, archaeological parks, and cultural precincts, as well as instruments for improving conservation of heritage building to promote Delhi's rich history and culture. MPD-2041 will be forwarded to the Ministry of Housing and Urban Affairs for final approval and notification.

Earlier in the day, AAP MLA and DDA Member Somnath Bharti wrote to DDA Chairman, Delhi L-G seeking postponement of meeting on Master Plan 2041. The MLA cited in his letter that DDA has not given sufficient time to residents to review and suggest changes to the MPD-2041.

with the representatives of DDA as per the Delhi Slum Rehabilitation Policy of 2015 and "since the land owning agency in this case is DDA, therefore, any steps as for the rehabilitation, relocation or under in-situ up-gradation, if at all to be done, needs to be done by the DDA".

DDA, which also filed an affidavit in response to the petition, said factually the colony is not a slum cluster and it is evident from the image taken from Google Earth of Ghosiya Colony of 2006, 2008 and 2010

## No role of DUSIB in DDA's demolition drive in Mehrauli, HC told

OUR CORRESPONDENT

**NEW DELHI:** The Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) on Tuesday told the Delhi High Court that it has no role in the demolition drive proposed by the DDA in Mehrauli or rehabilitation of displaced residents. DUSIB said the land-owning agency is the Delhi Development Authority and the board has no role to play in the petition filed by Ghosiya Slum Colony in Mehrauli, which was to be demolished by the authorities.

"Evidently, in the instant case, the alleged demolition drive is proposed by the respondent no. 1 (DDA). It is further submitted that the land-owning agency, as per the petitioner (slum colony) in the present case, is DDA."

"Therefore, in view of this, in so far as the answering respondent (DUSIB) is concerned, it has no role in demolition or rehabilitation of the petitioner," DUSIB said in an affidavit filed in response to the petition.

The matter came up before



Justice Manmeet Pritam Singh Arora who listed it for further hearing on March 14. DUSIB said DDA is the state level nodal agency for in-situ rehabilitation of slum dwellers (in respect of

lands belonging to the Central government and its agencies) under the Pradhan Mantri Awaz Yojna-Housing For All (Urban) in Delhi. It said no joint survey of the colony has been carried out

that the "entire area was green".

Subsequently around 2012, erection of jhuggies commenced and at the end of that year, the DDA sought police assistance for demolition of jhuggis from the colony and removed all of them, it said.

"Image taken from Google Earth in March 2022 shows encroachment in the same area," DDA said. The court has passed an interim order directing the authorities to maintain the status quo on 400 jhuggis of the slum colony.

# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

## LIBRARY

### PRESS CLIPPING SERVICE

NAME  Wednesday, March 1, 2023  
DELHI

THE HIND  
City

#### IN BRIEF



#### L-G approves draft MPD-2041

**NEW DELHI**  
Lieutenant-Governor V.K. Saxena on Tuesday approved the draft Master Plan for Delhi-2041 at a meeting of the Delhi Development Authority. He said the plan's thrust is on inclusive development, sustainability and innovative interventions. » Page 3

## Draft MPD-2041 approved by L-G, focus on housing for all

Draft Master Plan also aims to promote city's night-time economy, rejuvenate the Yamuna; sufficient time not given to residents to review changes, AAP MLA Somnath Bharti tells Saxena

**The Hindu Bureau**  
NEW DELHI

**L**ieutenant-Governor V.K. Saxena on Tuesday approved the draft Master Plan for Delhi-2041 (MPD). Mr. Saxena, who is also the chairperson of the DDA, said the thrust of the plan is on inclusive development, environmental sustainability, green economy, transit-oriented development hubs, land pooling and housing for all.

The draft MPD-2041 also proposes to promote the city's night-time economy, heritage, industrial activity and rejuvenate the Yamuna river through a Comprehensive River Development Plan. The draft Master Plan will now be forwarded to the Ministry of Housing and Urban Affairs for final approval and notification.

The Master Plan, pre-

pared by the DDA, is a statutory document that facilitates the Capital's development by assessing the present condition and guiding how to achieve the desired development. "The draft MPD-2041 is a strategic and enabling framework to guide future growth of the city, built upon the lessons learnt from the implementation of the previous plans," the DDA said in a statement.

#### DDA's three goals

The DDA said it would pursue three goals stated in the Master Plan over the next 18 years. The first goal is to become an environmentally sustainable city that is resilient to the impact of climate change. The second is to become a future-ready city offering good quality, affordable and safe living environments to its citizens. The third goal is to emerge as



**The thrust of the plan is on inclusive development, environmental sustainability, green economy and housing for all**

**V.K. SAXENA**  
Delhi Lieutenant-Governor

"a dynamic place for economic, creative and cultural development".

The vision document also includes "the development of affordable rental housing complexes with service apartments, con-

dominiums, hostels etc." the agency said in its statement.

The Master Plan also proposes the preparation of a comprehensive mobility plan (CMP) to integrate land use and transportation, transit-oriented development, and strategic mobility corridors for intra-city and inter-city movement while promoting the use of e-vehicles and e-charging infrastructure.

Earlier in the day, AAP MLA and DDA member Somnath Bharti wrote to Mr. Saxena seeking the postponement of the meeting. The MLA said that the DDA had not given sufficient time to residents to review and suggest changes to the draft MPD-2041. Mr. Bharti accused the DDA of being solely responsible for unauthorised construction and giving builder mafia a free hand.

# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

पंजाब केसरी

1 मार्च, 2023 बुधवार

DELHI

DATED

ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों के लिए 40% तक ग्राउंड कवरेज...

## डीडीए के मास्टर प्लान 2041 को दी उपराज्यपाल ने मंजूरी

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): राजधानी के विकास और उसकी तरक्की के लिए डीडीए के अध्यक्ष व दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने मास्टर प्लान 2041 को मंजूरी दी है। एलजी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस दौरान "जहां झुग्गी वहां मकान" के तहत इन सीटू पुनर्वास के लिए महिला लाभार्थियों से संबंधित दिशा-निर्देशों में ढील देने का भी निर्णय लिया गया। साढ़े तीन घंटे से अधिक समय तक चली इस बैठक में एलजी ने कहा कि मास्टर प्लान-2041 में समावेशी विकास, पर्यावरणीय स्थिरता, ग्रीन इकोनामी, आधारिक संरचना के विकास पर जोर दिया गया, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लिए पर्याप्त आवास, टीओडी हब, लैंड पूलिंग, हरित क्षेत्र का विकास, शहर का कायाकल्प और पुनरुद्धार जैसी नई परिकल्पनाएं शामिल हैं। इसके अलावा मास्टर प्लान में आईटी/साइबर हब, ज्ञान आधारित उद्योगों और दिल्ली में अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं जैसी स्वच्छ अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के साथ नाइट इकोनॉमी के विकास के लिए भी प्रावधान है। डीडीए मास्टर प्लान में लैंड पूलिंग और रिजेनरेशन के माध्यम से निजी भागीदारी से आवास की आपूर्ति को बढ़ावा देना चाहता है। मास्टर प्लान

खास बातें...



- अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को बढ़ावा
- औद्योगिक प्लॉट पर वर्कर हाउसिंग पर काफी जोर
- पार्किंग में ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाना अनिवार्य
- मास्टर प्लान में ग्रीन व नाइट इकोनॉमी पर जोर

में कंप्रिहेंसिव रिवर डेवलपमेंट प्लान के तहत यमुना व उसके बाढ़ क्षेत्रों का कायाकल्प किया जाएगा। इसके अलावा हेरिटेज जोन व आर्किटैक्चरल पार्क सांस्कृतिक क्षेत्रों की सीमा तय की गई है। इसमें 25 से 60 वर्गमीटर के स्मॉल फार्मेट हाउसिंग को भी बढ़ावा दिया गया है। इसके अलावा सरकारी व निजी क्षेत्रों

की मदद से अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को बढ़ावा देने का प्रावधान इस इस मास्टर प्लान का प्रमुख हिस्सा है। औद्योगिक प्लॉट पर वर्कर हाउसिंग पर भी काफी जोर दिया जाएगा। वहीं ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के लिए 40 प्रतिशत तक का ग्राउंड कवरेज व वैक्लपिक साइटों पर इंडब्ल्यूएस हाउसिंग का प्रावधान इस मास्टर प्लान में किया गया है। इसके अलावा फॉरेन मिशन को बढ़ा हुआ ग्राउंड कवरेज व एफएआर दिये जाने की बात भी मास्टर प्लान में शामिल है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्कूलों के अपग्रेडेशन के लिए भी बढ़ा हुआ एफएआर दिया जाएगा। वहीं रेजीडेंशियल एरिया में हॉस्टल बनाए जाएंगे। अब पार्किंग में ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाना भी इस मास्टर प्लान में अनिवार्य किया गया है।

यहां बता दें कि एमपीडी -2041 का ड्राफ्ट नागरिक और स्टैकहोल्डरों की व्यापक भागीदारी के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय, आरडब्ल्यूए, ट्रेडर्स और मार्केट एसोसिएशन, एनजीओ, संगठन, प्रोफेशनल्, विशेषज्ञ और आम व्यक्तियों के विचार शामिल किये गये हैं। प्राधिकरण की बैठक में डीडीए वीसी सुभाषीश पंडा और अन्य सदस्यों ने भाग लिया।

तथा है **मास्टर प्लान**

मास्टर प्लान 2041 डीडीए द्वारा तैयार एक सांविधिक दस्तावेज है, जो वर्तमान स्थिति का आंकलन करता है और वांछित विकास को प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शन करके दिल्ली के विकास को सुगम बनाता है। ड्राफ्ट एमपीडी-2041 शहर के भावी विकास को दिशा प्रदान करने के लिए एक 'कार्यनीतिक' और 'सक्षम' ढांचा है, जो पिछली योजनाओं के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर बनाया गया है और विभिन्न परियोजनाओं और स्कीमों के कार्यान्वयन के संबंध में देश भर से प्राप्त अनुभवों पर आधारित है। दिल्ली के लिए पहला मास्टर प्लान 1962 में दिल्ली विकास अधिनियम 1957 के तहत लागू किया गया था। इन योजनाओं को 20 साल की परिप्रेक्ष्य अवधि के लिए तैयार किया गया है और ये दिल्ली के नियोजित विकास के लिए एक समग्र ढांचा प्रदान करते हैं।

# Master Plan 2041: Boost to night economy, green growth

LG nod to draft MPD-2041

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

Delhi Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena on Tuesday approved the Master Plan for Delhi (MPD) 2041 at the Delhi Development Authority (DDA) meeting which will usher a new era of development and will guide future growth of the national Capital.

The draft MPD 2041 will be forwarded to Ministry of Housing and Urban Affairs for final approval and notification. The Master Plan proposes to promote clean economies such as IT/cyber hubs, knowledge-based industries, and R&D facilities in

Delhi.

There is also provision for the development of night time economy. As part of the master plan, the authority wants to boost housing supply, by private participation through land pooling and regeneration of planned.

At the meeting, the Authority also took a decision for relaxation in guidelines pertaining to female beneficiaries for in situ rehabilitation under Jahan Jhuggi Wahan Makan programme.

The new MPD 2041 will be a more people-friendly document easy-to-read and understand by general public apart from professionals.

GIS-based land use plan is developed which will enable stakeholders in ease of understanding of applicability of policies/provisions of draft Master Plan on ground more



precisely, development control norms related to use premises and activities, flexibility in use, parking requirements, mixing of uses, etc have been simplified and enable flexibility to meet future developments and people's needs.

The MPD also emphasis on development of city hubs, circuits, plazas, and night time circuits. Specific corridors and

trails will be identified for promoting the night time economy; boost housing supply, by private participation through land pooling & regeneration of planned and unplanned areas with incentive FAR; plan proposes development of non-ownership/Rental Housing and Affordable Rental Housing Complexes (particularly close to mass transit) with new for-

ms like serviced apartments, condominiums, hostels, student housing, worker housing, etc. to meet housing supply demand in existing developed areas.

The main features also include plan proposes parking management and promotes green mobility, such as the use of E-vehicles and e-charging infrastructure; physical infra-

structure plays a crucial role in urban development, as it provides the basic framework for any urban area to function and grow sustainably.

Strategies are provided for reuse of treated waste water, dual-piping systems, green rating, promotion of renewable energy, optimising utilisation of resources, waste management including C&D waste; plan permits flexible loading of Floor Area Ratio (FAR), Transfer of Development Rights (TDR) receiving areas, and additional development controls to promote walkability, sustainable design, active frontage, and other sustainable urban planning principles in land pooling areas.

The MPD also include provisions made for regeneration of existing/ brownfield areas through retrofitting, reconstruction or area-level

redevelopment which shall covers planned areas such as Commercial, Industrial, PSP & BPD, and unplanned areas such as inauthorised colonies, JJ clusters, urban villages, Non-Conforming Godown Clusters & Non-Conforming Industrial Clusters; Regeneration in the old and dilapidated areas, re-densification of areas by providing incentives for planned redevelopment and/or retrofitting of areas; improve area-level safety and disaster resilience and increase availability of social infrastructure and Improving social infrastructure in existing areas through regeneration, particularly dense areas like urban villages and unauthorized colonies.

The DDA also decided that for successful implementation of in-situ rehabilitation

projects and in order to provide relief to the beneficiaries of all such projects, it was decided that possession letter may be issued in the single name of women spouse occupying the jhuggi in such cases.

The first Master Plan for Delhi was promulgated in 1962 under the Delhi Development Act 1957.

These plans are prepared for 20years' perspective periods and provided a holistic framework for planned development of Delhi.

The Draft MPD-2041 is a 'strategic' and 'enabling' framework to guide future growth of the city, built upon the lessons learnt from the implementation of the previous plans and based on learnings from across the country with respect to implementation of various projects and schemes.

## Unified portal for licensing of eating, lodging sectors to help startups

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

In an enabling move that will go a long way in giving a boost to the hospitality sector, Delhi Lt Governor Vinai Kumar Saxena on Tuesday launched the modified unified portal for licensing of eating, lodging and boarding establishments.

This single window portal will help entrepreneurs, businessmen and start-ups in the hospitality sector by way of ensuring that a single easy to fill form, enables them to get / renew licenses from Delhi Police, MCD, NDMC, Delhi Fire Service and DPCC, simultaneously within a fixed timeframe of 49 days.

Establishments will now be able to operate under a much simplified, minimal and enabling licensing regime, in the National Capital.

Speaking on the occasion, the LG said this major step has reformed, simplified and overhauled a regulation that had been existing since 1980 and had become extremely obstructive for the entrepreneurs in



the hospitality sector. Taking on from the Prime Minister's dictum of "Ease of Doing Business", Saxena said governance should be about enabling, endeavour and enterprise and not obstructing and restricting them.

Addressing the gathering of restaurateurs, hoteliers and others, the LG said enabling the hospitality sector, with these simplified licensing norms, would prove to be the first step in the direction of a robust Night Time Economy in Delhi. Since the existing license regime in the city was found to be restrictive in terms of the requirements and demands of the entrepreneurs and people,

a High Level Committee under the Principal Secretary (Home), comprising top officers from all stakeholder departments was constituted to ease the same, Saxena informed.

The Committee was able to complete its task in record time and the result is there for all of us to see, in the shape of this 'Modified Unified Portal for Licensing of Eating & Lodging / Boarding Establishments', launched today, he further said.

It was informed that, experiments like extending the timings of operations by eateries and restaurants in the city and clubs run by the DDA, had

been encouraging. Similarly, alfresco and dining on terraces were allowed. Residents of the city, who were going to establishments in the neighbouring hubs of NCR, got an option to patronise establishments in Delhi itself.

With the launch of modified portal, the entire process of granting and renewal of licenses has been made completely online and faceless. Establishments in the hospitality sector will now be able to get their licenses or renew them by submitting a much shorter, simpler and user-friendly Common Application Form (CAF) on the portal. This CAF will be applicable for all 05 Licensing Bodies that include, Delhi Police, MCD, NDMC, DPCC and Delhi Fire Service. In the new CAF, 140 fields have been removed and uploading of 28 documents has been done away with. Instead of 05 affidavits that was supposed to be submitted earlier, the applicants will now have to submit a Single Common Undertaking for all 05 agencies.